उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 156/613/41-1-2025 CN 1873591/2024
लखनऊः दिनांक: 28 फरवरी, 2025
शुद्धि-पत्र

जनपद शाहजहाँपुर के वि०ख० ददरौल के ग्राम कुतुबापुर सहामऊ में स्थित जलपा देवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-943/2953/41-1 2024-सी०एन०- 1873591-24, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 द्वारा उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को कार्यदायी नामित करते हुए अप्रैजल समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 85.67 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 52.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

2 उक्त शासनादेश संख्या 943/2953/41-1-2024-सी0एन0-1873591-24, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के प्रस्तर-2 में परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 85.67 लाख के स्थान पर रू० 104.99 लाख पढ़ा जाय ।

तदनुसार शासनादेश संख्या 943/2953/41-1-2024-सी0एन0-1873591-24, दिनांक 05 दिसम्बर 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें/ प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदेव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ ।
5. जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
10. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली मण्डल, बरेली ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in